

सहायक कलेक्टर भरतपुर,भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 13 / 14

दर्ज दिनांक:-24.01.2014

1. थानसिंह पता— .....प्रार्थी

बनाम

2. मानसिंह पता— .....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

ललताप्रसाद

प्राथी अभिभाषक

विजयसिंह कुन्तल

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-04.01.18

सत्यमेव जयते

यह दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89,188 के अंतर्गत पेश होने पर दर्ज किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार उनके वकील को कई बार आवाज लगवाई गई किन्तु उपस्थित नहीं आए। अतः दावा वादीगण इसी स्टेज पर अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर,भरतपुर